## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

## (आयकर)

का.आ. 1361 (अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा-(1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में एतद्वारा निदेश देता है कि प्रधान महानिदेशक आयकर (सिस्टम), दिल्ली ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या ऐसी आय या आय वर्ग या ऐसे मामलों या मामलों की श्रेणी के संबंध में शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेंगे, जिसके संबंध में आयकर आयुक्त (ई-सत्यापन) का स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 20/2019/फा. सं. 187/2/2019-आईटीए-1]

राजाराजेश्वरी आर. अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2019

## (INCOME-TAX)

**S.O.** 1361(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Principal Director General of Income-tax (Systems), Delhi, shall exercise the powers and perform the functions in respect of such territorial area or such persons or class of persons or such incomes or class of incomes or such cases or class of cases, in respect of which the Commissioner of Income-tax (e-Verification) has jurisdiction vested in him.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

[Notification No. 20/2019/F. No.187/2/2019-ITA-I]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.